न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।

पीठासीन अधिकारी– श्री श्रेय शुक्ला, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O. Code– UP3845

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3071/2026

CNR:**–UPSP010072352026**

मुन्साद पुत्र मन्जूरा, निवासी कस्बा व थाना नानौता, जिला सहारनपुर।

..... **प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... **विपक्षी।**

मु०अ०सं०–98/2026
धारा–64(1),351(2) भा०न्या०सं०
थाना–नानौता, जिला–सहारनपुर।

20.07.2026

आवेदक/अभियुक्त **मुन्साद** की ओर से मु०अ०सं० 98/2026, धारा–64(1), 351(2) भा०न्या०सं०, थाना–नानौता, जिला–सहारनपुर के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद में अभियुक्त दिनांक 02.05.2026 से जिला कारागार, सहारनपुर में निरुद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ **अब्दुल कादिर पुत्र मन्जूरा** का शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया चांदनी पुत्री नौशाद, निवासी मौहल्ला शेखजादगान महाराणा प्रताप कालोनी थाना नानौता सहारनपुर में किराये के मकान पर पिछले दो महीने से अपने परिवार के साथ रह रही है। वादिया पूर्व में दिल्ली रोड़ संजय की आरा मशीन के सामने कालोनी में किराये के मकान में रहते थे। जहां डेढ साल पूर्व मुन्साद पुत्र मंजूरा निवासी नानौता शादीशुदा होने के बाद भी वादिया पर बुरी नजर रखता था, एक दिन वह वादिया को अकेला देख जब वादिया नहाने के बाद कपड़े बदल रही थी तो वादिया के घर में घुस वादिया को फोटो खींचे। उस समय वादिया डर गयी थी। उसने वादिया के डर का फायदा उठाते हुए वादिया के साथ शारीरिक संबंध बनाये एवं वादिया के अश्लील फोटो खींचे तथा उन फोटो का डर दिखा कर वादिया के साथ बिना उसकी मर्जी के शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब वादिया के माता–पिता ने वादिया का रिश्ता तय कर दिया तब से मुन्साद बार–बार वादिया के फोटो दिखा कर रिश्ता तुड़वाने की धमकी दे रहा है। दिनांक 29 अप्रैल को वादिया के घर पहुंच कर वादिया के भाई को अंजाम भुगतने की धमकी व वादिया की शादी न होने देने की धमकी दी है। अतः कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से बहस की गयी है कि प्रार्थी को वाद उक्त में झूठा व गलत अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध उपरोक्त धाराओं का नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों से प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध उपरोक्त धाराओं का नहीं बनता है। जो कहानी प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखी गयी है वह झूठी एवं मनघडन्त बनायी गयी है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट डेढ वर्ष की देरी है तथा घटना का कोई दिनांक भी दर्ज नहीं है, देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादनी व प्रार्थी दोनो बालिग थे तथा वादनी व प्रार्थी के रिश्ते की बातचीत चल रही थी। प्रार्थी का यह दूसरा निकाह था तथा वादनी व उसके परिवार वालो को प्रार्थी के पूर्व निकाह की पूर्ण जानकारी थी। वादनी व प्रार्थी का रिश्ता तय हो जाने के बाद वादनी व प्रार्थी का आपसी मिलना–जुलना हो गया था तथा दोनो पक्षो के परिवार वालो को भी इस बात की बखूबी जानकारी चली आती थी। यह कि प्रार्थी की पहली पत्नी द्वारा प्रार्थी के वादनी के साथ हुए रिश्ते का विरोध किया गया था तथा प्रार्थी की पहली पत्नी इमराना ने वादनी व प्रार्थी के विरूद्ध झूठे कथनो से मु.अ.सं. 14/26 महिला थाना बागपत पर पंजीकृत करा दिया था तथा उस मुकदमें में वादनी व प्रार्थी के विरूद्ध आरोप

पत्र आ गया था। जिसकी जानकारी वादनी व उसके परिवार वालो को होने पर वादनी व उसके परिवार वालो द्वारा प्रार्थी पर यह दबाव बनाया गया कि प्रार्थी अपनी पहली पत्नी से सुलहनामा कर वादनी का नाम उस मुकदमे से निकलवा दे नहीं तो वह भी प्रार्थी को झूठे मुकदमें में फंसा देगी। वादनी ने प्रार्थी को समझाया कि तुम्हारे साथ हुए रिश्ते कारण ही मेरे खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज गया है तथा मैंने काफी पैसा खर्च कर दिया है। इसलिए तुम मेरे साथ निकाह कर लो तो इस पर वादनी ने निकाह करने से इंकार कर दिया। प्रार्थी द्वारा वादनी पर निकाह करने की बात कहने पर वादनी ने यह झूठा मुकदमा प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज करा दिया। मु.अ.सं. 14/26 महिला थाना बागपत की छायाप्रति संलग्न दाखिल है। वादनी ने अश्लील फोटो होने का कथन किया है जबकि ऐसा कोई अश्लील फोटो पत्रावली पर मौजूद नहीं है। मामने में आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है। तथाकथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। जो साक्षी बनाये गये है वह हितबद्ध साक्षी है। प्रार्थी दिनांक 02.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदिक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा केस डायरी एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आवेदिक/अभियुक्त पर अभियोग है कि उसके द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री के साथ गलत काम (बलात्कार) किया गया तथा फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई।

न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले में उभपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त पर वादिया मुकदमा/पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने एवं पीड़िता की अश्लील फोटो वायरल कर जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। प्रस्तुत प्रकरण में थाने पर दी गयी तहरीर, बयान अंतर्गत धारा **180** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं बयान अंतर्गत धारा **183** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पीड़िता द्वारा अपने कथनों का समर्थन किया गया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 03.05.2026 को किया गया, जिसमें पीड़िता ने चिकित्सक को दिये गये बयान में भी थाने पर दी गयी तहरीर का समर्थन किया है। जहां तक आवेदक/अभियुक्त का यह तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण रंजिशन झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है तो इस संबंध में न्यायालय द्वारा निर्धारित साक्ष्यों के परिशीलन उपरान्त ही इस बिन्दु का निस्तारण किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति में पत्रावली पर अभी कोई भी साक्ष्य उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत मामले में विवेचना पूर्ण हो चुकी है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कथित अपराध महिला के विरूद्ध एवं गम्भीर प्रकृति का प्रतीत होता है। मामले के गुण–दोष पर टिप्पणी किये बिना केस डायरी में संकलित साक्ष्य से आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बगैर, आवेदिका/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिक/अभियुक्त **मुन्साद** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति, संबंधित थानाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को अविलम्ब प्रेषित की जाये।

दिनांक 20.07.2026

(श्रेय शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय–प्रथम, सहारनपुर।
(J.O. Code– UP3845)

Digitally signed by Shrey Shukla
Date: 2026.07.21 16:33:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court